क्रम संख्या–199 (क)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2016 ई0

पौष 09, 1938 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

संख्या 4454/वि0स0/509/अधि0/2015

देहरादून, 30 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना/विविध

प0 आ0–23

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 2011" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

"उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016" है।

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 9 के परिशिष्ट (ख) के क्र0सं0 1 का संशोधन

2. मूल नियमावली के नियम 9 के परिशिष्ट 'ख' के क्र0सं0– 1 के स्तम्भ– 2, 3 एवं 4 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात

क्र0सं0 1 का स्तम्भ–2	क्र0सं0 1 का स्तम्भ–4
2. सचिव, वेतनमान रू0 37400 –67000 ग्रेड पे 10000/– (सचिव के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त प्रमुख सचिव का पद वेतनमान 67000/– (3 प्रतिशत वेतनवृद्धि 79000/– में अनुमन्य होगा) प्रमुख सचिव – (सीधी भर्ती द्वारा) वेतनमान रू0 67000/– (3 प्रतिशत वेतन वृद्धि) – 79000	4. सचिव पद पर सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त अपर सचिवों में से श्रेष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा, परन्तु यह और कि जब तक सचिव के पद हेतु विधान सचिवालय सेवा का कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध न हो, तो तब तक उच्च न्यायिक सेवा के जिला जज श्रेणी के अधिकारी द्वारा उक्त पद प्रतिनियुक्ति से भरा जा सकेगा। परन्तु यह कि सीधी भर्ती की दशा में सचिव का पद आस्थगित रहेगा और नियुक्ति प्रमुख सचिव के पद वेतनमान रू0 67000/– (3 प्रतिशत वेतनवृद्धि) – 79000 में की जायेगी। शैक्षिक व अन्य अर्हतायें स्तम्भ – 3 के अनुसार होगी। यह और कि इस नियमावली के अधीन पूर्व में गठित चयन समिति के आधार पर की गयी नियुक्तियां भी इन नियमों द्वारा आच्छादित समझी जायेगी।

नियम 9 के परिशिष्ट (ख) के क्रम सं0– 34 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 9 के परिशिष्ट 'ख' के क्र0सं0 34 के स्तम्भ– 2 एवं स्तम्भ 4 (क) (ख) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

क्र0सं0– 34 का स्तम्भ– 2	क्र0सं0– 34 का स्तम्भ– 4(क) (ख)
सहायक समीक्षा अधिकारी वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4600/–	4 (क) 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 50 प्रतिशत पदों पर विधान सभा सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर सहायक के पद धारको को जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार

करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यह कि पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो अध्यक्ष पदोन्नति के उक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर सकेंगे।

नियम 9 के परिशिष्ट (ख) के क्र0सं0– 38 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नियम 9 के परिशिष्ट 'ख' के क्र0सं0– 38 के स्तम्भ– 4 (क) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात

क्र0सं0– 38 का स्तम्भ– 4

4. (क) रक्षक संवर्ग में पुरूष रक्षक के कुल सृजित पदों पर सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त पुरूष रक्षकों में से, जिन्होने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुप्रयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

(ख) रक्षक संवर्ग में महिला रक्षकों के कुल सृजित पदों पर सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त महिला रक्षकों में से , जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

नियम 9 के परिशिष्ट (ख) के क्रम सं0– 39 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नियम 9 के परिशिष्ट 'ख' के क्र0सं0– 39 के स्तम्भ– 2, 3 एवं 4 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

क्र0सं0 39 का स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	क्र0सं0 39 का स्तम्भ–3 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	क्र0सं0 39 का स्तम्भ–4 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2. कम्प्यूटर सहायक वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 2400/–	3.उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घण्टा की गति एवं एम0एस0 ऑफिस का	4. (क) 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) शेष 30 प्रतिशत पदों में से 25 प्रतिशत समूह घ के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, जो हाईस्कूल अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हो में से ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त

	ज्ञान अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।	को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा। (ग) 5 प्रतिशत पदों पर इस सचिवालय के ऐसे वाहन चालकों में से, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जो हाई स्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की – डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घण्टा की गति एवं एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान रखते हो, को निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जा सकेगा। परन्तु यह कि यदि उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय में मौलिक रूप से नियुक्त समूह घ एवं चालक में निर्धारित अर्हता धारित करने वाले कर्मी उपलब्ध न हो तो कम्प्यूटर सहायक के समस्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा भी की जा सकेगी।

नियम 11 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तभं 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भाग– 3 नियम– 11	भाग– 3 नियम– 11
3. सीधी भर्ती के लिये आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये गये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय, परन्तु यह और कि सभा के अध्यक्ष किसी पद के सम्बन्ध में उसकी अधिकतम आयु सीमा को पांच वर्ष तक शिथिल कर सकते हैं।	3. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिन पदों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उससे कम हो, उन पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी एवं जिन पदों की शैक्षिक योग्यता स्नातक होगी, उन पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी। परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय, परन्तु यह और कि सभा के अध्यक्ष किसी पद के सम्बन्ध में उसकी अधिकतम आयु सीमा को पांच वर्ष तक शिथिल कर सकते हैं।

नियम 17 के उपनियम (1) का संशोधन

7. मूल नियमावली में नीचे स्तभ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:

वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भाग– 5 नियम– 17(1)	भाग– 5 नियम– 17(1)
(1) सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये एक चयन समिति निम्नवत गठित की जायेगी :–	(1) सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अध्यक्ष विधान सभा की अध्यक्षता में एक चयन समिति

(क) मा0 अध्यक्ष विधान सभा — सभापति

(ख)मा0 उपाध्यक्ष विधान सभा— उप सभापति

परन्तु यह कि यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उनके स्थान पर विधान सभा का वरिष्ठतम एक सदस्य,

(ग)मा0 नेता प्रतिपक्ष विधान सभा — सदस्य

(घ) मा0 संसदीय कार्य मंत्री — सदस्य

(ङ)वित्त विभाग का एक अधिकारी जो कि सचिव से अन्यून स्तर का हो— सदस्य

(च)मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का विधान सभा का एक सदस्य — सदस्य

(छ)प्रमुख सचिव/सचिव विधान सभा— सदस्य

इस समिति की गणपूर्ति के लिये चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ,

परन्तु यह कि यदि इस समिति के क्रमांक(घ) एवं (ङ) पर अंकित सदस्य समिति की बैठक आयोजित किये जाने पर निरन्तर तीन अवसरों पर भी उपस्थित न हों तो उस दशा में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा ,

परन्तु यह और कि जहां प्रमुख सचिव/सचिव के पद की सीधी भर्ती की जा रही हो, वहां अध्यक्ष द्वारा नामित शासन के कार्मिक या न्याय अथवा विधायी निम्नवत गठित की जायेगी :—

(क) संसदीय कार्य मंत्री — सदस्य

(ख) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) पर उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जातियो या अनूसूचित जन जातियों के न हो तो, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियो का विधान सभा का कोई एक अन्य सदस्य । यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) पर उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हों तो , मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान सभा का एक ऐसा अन्य सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ,जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का न हो — सदस्य

(ग) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क)पर उल्लिखित सदस्य अन्य पिछडे वर्गो के न हो, तो मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान सभा का अन्य पिछडी जाति का एक सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

और यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) पर- उल्लिखित सदस्य अन्य पिछडे वर्गो के न हों तो , मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान सभा का एक ऐसा अन्य सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जनजातियों का न हो — सदस्य

(घ) सचिव/प्रमुख सचिव विधान सभा — सदस्य सचिव

परन्तु यह और कि जहां

विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य– सचिव होगा ।	प्रमुख सचिव के पद की सीधी भर्ती की जा रही हो ,वहां अध्यक्ष विधान सभा द्वारा नामित शासन के कार्मिक या न्याय अथवा विधायी विभाग का सचिव/प्रमुख सचिव सदस्य सचिव होगा ।

नियम 18 में संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ– 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

भाग– 5 नियम– 17(1) **वर्तमान नियम**	भाग– 5 नियम– 17(1) **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(1) सभा के अनुसचिव पद से लेकर सचिव/प्रमुख सचिव तक के पदों पर पदोन्नति हेतु निम्नवत् एक समिति का गठन किया जायेगा:–	(1) सेवा के विभिन्न पदों पर पदोन्नति के सभी पदों के लिये मा0 अध्यक्ष विधान सभा की अध्यक्षता में एक चयन समिति निम्नवत् गठित की जायेगी:–
(क) मा0 अध्यक्ष विधान सभा– सभापति	(क) मा0 संसदीय कार्य मंत्री – सदस्य
(ख) मा0 उपाध्यक्ष विधान सभा– उप सभापति परन्तु यह कि यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उनके स्थान पर विधान सभा का वरिष्ठतम एक सदस्य,	(ख) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) पर उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के न हों तो, मा0 अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या या अनुसूचित जनजातियों का विधान सभा का कोई एक अन्य सदस्य, यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड
(ग) मा0 नेता प्रतिपक्ष विधान सभा– सदस्य	(क) पर उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हों तो, मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान सभा का एक ऐसा अन्य सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का न हो, सदस्य
(घ) मा0 संसदीय कार्य मंत्री– सदस्य	
(ङ) वित्त विभाग का एक अधिकारी जो सचिव से अन्यून स्तर का हो– सदस्य	
(च) मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का विधान सभा का एक सदस्य– सदस्य	(ग) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) पर उल्लिखित सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग के न हो तो मा0 अध्यक्ष
(छ) प्रमुख सचिव/सचिव विधान सभा – सदस्य	

इस समिति की गणपूर्ति के लिये चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी,

परन्तु यह कि यदि इस समिति के कमांक (घ) एवं (ङ) पर अंकित सदस्य समिति की बैठक आयोजित किये जाने पर निरन्तर तीन अवसरों पर भी उपस्थित न हों तो उस दशा में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा,

परन्तु यह और कि जहां प्रमुख सचिव/सचिव के पद की पदोन्नति की जा रही हो, वहां अध्यक्ष द्वारा नामित शासन के कार्मिक या न्याय अथवा विधायी विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य– सचिव होगा।

(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती गुणानुकम/ज्येष्ठता (जहां लागू न हो छोड़ दें) अनुपयुक्त को छोड़कर, के आधार पर नियम 17 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुकम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे।

(4) चयन समिति द्वारा उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह द्वारा विधान सभा का अन्य पिछड़ी जाति का एक सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जायेगा,

और यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) पर उल्लिखित सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के न हों तो, मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान सभा का एक ऐसा अन्य सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का न हो– सदस्य

(घ) सचिव/प्रमुख सचिव विधान सभा– **सदस्य सचिव**

परन्तु यह और कि जहां सचिव/प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति की जा रही हो, वहां अध्यक्ष विधान सभा द्वारा नामित शासन के कार्मिक या न्याय अथवा विधायी विभाग का प्रमुख सचिव सदस्य सचिव होगा।

उपबन्ध यह है कि चयन समिति में गणपूर्ति के लिये न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती गुणानुकम/ज्येष्ठता (जहां लागू न हो छाड़ दें) अनुपयुक्त को छोड़कर, के आधार पर नियम 18 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुकम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी सेवा पुस्तिका सहित चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

(4) चयन समिति द्वारा उपनियम (2) एवं (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के

आवश्यक समझें तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(5) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

(6) समूह घ से समूह ग में तथा टंकक से लेकर अनुभाग अधिकारी तक के पदों के पदोन्नति के लिये निम्नवत् एक चयन समिति गठित की जायेगी:–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव विधान सभा– सभापति

(ख) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अधिकारी जो कि अपर सचिव के पद से अन्यून स्तर का हो– सदस्य

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जन जाति का एक अधिकारी – सदस्य

(घ) अपर सचिव विधान सभा – सदस्य सचिव।

आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(5) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की जयेष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

नियम 29 के प्रथम प्रस्तर का संशोधन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात

भाग– 8	भाग– 8
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम 29 का प्रथम प्रस्तर–	**नियम 29 का प्रथम प्रस्तर–**
यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में, किसी बात के होते	जहाँ अध्यक्ष विधान सभा का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों (मूल अर्हता सम्बन्धी प्राविधानों को छोड़कर) को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती हो, वहां वे उस मामले में लागू नियमों में, किसी

हूए भी, अध्यक्ष के परामर्श से आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी; जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिये उचित समझें ।

बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वे मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त दे सकते हैं या उसे शिथिल कर सकते हैं।

नियम 30 में उपनियम (3) के पश्चात् उपनियम (4) का जोड़ा जाना

9. मूल नियमावली के भाग–8 के नियम 30 के उप नियम (3) के पश्चात् एक नया उपनियम 30(4) को निम्नवत जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्

भाग– 8

नियम– 30

30(4) विधान सभा सचिवालय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की दशा में, अध्यक्ष, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति, उस पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए सेवा पेंशन सिद्धान्त के अधीन कर सकेंगे तथा उससे अधिक अवधि के लिए वित्त विभाग के परामर्श से कर सकेंगे।

आज्ञा से,

जगदीश चन्द्र,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 वि0स0/92–2017–100+50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।